रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092025-266551
CG-DL-E-30092025-266551

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4317] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2025/ अश्विन 8, 1947
No. 4317] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2025/ASVINA 8, 1947

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 29 सितंबर, 2025

का.आ. 4441(अ).— केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) दसवां संशोधन आदेश, 2025 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगा।

2. उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 में अनुसूची-VI के भाग-क में,-

(i) उप-शीर्ष 4. 'बायोस्टिमुलेंट्स का मिश्रित फॉर्मूलेशन' में निम्नलिखित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा, अर्थात:

(क) प्रविष्टि (10) प्रोटीन हाइड्रोलाइज़ेट और समुद्री शैवाल अर्क का मिश्रण (तरल);

(ख) प्रविष्टि (27) प्रोटीन हाइड्रोलाइज़ेट और एंटीऑक्सीडेंट का मिश्रण (तरल); और

(ग) प्रविष्टि (28) प्रोटीन हाइड्रोलाइज़ेट, समुद्री शैवाल अर्क और ह्यूमिक एसिड का मिश्रण (तरल);

(ii) उप-शीर्ष 5. 'प्रोटीन हाइड्रोलाइज़ेट्स और अमीनो एसिड' में में निम्नलिखित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा, अर्थात:

(क) प्रविष्टि (1) प्रोटीन हाइड्रोलाइज़ेट 62.1% (पशु स्रोत) (तरल);

(ख) प्रविष्टि (2) प्रोटीन हाइड्रोलाइज़ेट्स 36.04% (पशु स्रोत) (तरल);

(ग) प्रविष्टि (8) प्रोटीन हाइड्रोलाइज़ेट 62.5% (पशु स्रोत) (तरल);

(घ) प्रविष्टि (14) प्रोटीन हाइड्रोलाइज़ेट 46.9% (पशु स्रोत) (तरल);

(ङ) प्रविष्टि (15) प्रोटीन हाइड्रोलाइज़ेट 29.34% (पशु स्रोत) (तरल);

(च) प्रविष्टि (16) प्रोटीन हाइड्रोलाइज़ेट 12% (पशु स्रोत) (तरल);

(छ) प्रविष्टि (17) प्रोटीन हाइड्रोलाइज़ेट 68.33% (पशु स्रोत) (तरल);

(ज) प्रविष्टि (21) प्रोटीन हाइड्रोलाइज़ेट 54% (पशु स्रोत) (तरल);

(झ) प्रविष्टि (26) प्रोटीन हाइड्रोलाइज़ेट 15% (पशु स्रोत) (तरल);

(ञ) प्रविष्टि (30) प्रोटीन हाइड्रोलाइज़ेट 27.5 % (पशु स्रोत) (तरल); और

(ट) प्रविष्टि (33) प्रोटीन हाइड्रोलाइज़ेट 62.5% (पशु स्रोत) (तरल)।

[फा.सं. 3-14/2017 उर्व. विधि. – भाग-2]
फ्रैंकलिन एल. खोबुंग, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश, भारत के राजपत्र में सा. का. नि. संख्यांक 758 (अ) , तारीख 25 सितंबर, 1985, द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार संख्या का. आ. 4361 (अ) तारीख 24 सितम्बर, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture and Farmers Welfare)
ORDER

New Delhi, the 29th September, 2025

S.O. 4441(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely: -

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Tenth Amendment Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, in Schedule VI, Part-A,-

(i) in sub-heading 4 relating to 'Mixed formulation of Biostimulants', the following entries shall be omitted, namely:

(a) entry (10) Mixture of Protein Hydrolysate and Seaweed extract (Liquid);
(b) entry (27) Mixture of Protein Hydrolysate and Antioxidant (Liquid); and
(c) entry (28) Mixture of Protein hydrolysate, seaweed extract and humic acid (Liquid),

(ii) in sub-heading 5 relating to 'Protein hydrolysates and Amino Acids', the following entries shall be omitted, namely:

(a) entry (1) Protein hydrolysate 62.1% (Animal Source) (Liquid);
(b) entry (2) Protein Hydrolysates 36.04%(Animal Source) (Liquid);
(c) entry (8) Protein hydrolysate 62.5 % (Animal Source) (Liquid);
(d) entry (14) Protein hydrolysate 46.9% (Animal source) (Liquid);
(e) entry (15) Protein Hydrolysate 29.34% (Animal source) (Liquid);
(f) entry (16) Protein Hydrolysate 12% (Animal source) (Liquid);
(g) entry (17) Protein Hydrolysate 68.33% (Animal source) (Liquid);
(h) entry (21) Protein hydrolysate 54% (Animal source) (Liquid);
(i) entry (26) Protein hydrolysate 15% (Animal source) (Liquid);

(j) entry (30) Protein Hydrolysate 27.5 % (Animal source) (Liquid); and
(k) entry (33) Protein hydrolysate 62.5 % (Animal source) (Liquid).

[F.No. 3-14/2017-Fert Law (Part-II)]
FRANKLIN L. KHOBUNG, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India vide G.S.R. number 758(E), dated the 25th September, 1985 and was last amended vide number S.O. 4361 (E), dated the 24th September, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.09.30 16:37:04 +05'30'